उत्तर निगम आयुक्त ने शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण किया

■ 'अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा में नहीं आए कोई बाधा'

कोटा, (निसं)। अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा के दौरान व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहे तथा शोभायात्रा में कोई बाधा नहीं आए इसके लिए नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने अधिकारियों के साथ शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, विद्युत पोल पर बंधी तारों को हटाने के निर्देश दिए।

उत्तर निगम के आयुक्त अशोक त्यागी ने कैथूनीपाल थाने से उपायुक्त हरबिंदर ढिल्लन सिंह, जवाहर लाल जैन, अधीक्षण अभियंता कुलदीप प्रेमी, स्वास्थ्य अधिकारी मोतीलाल चौधरी के साथ पैदल ही निरीक्षण प्रारंभ किया। उन्होंने लालबुर्ज के पास के स्थान पर बाउंड्रीवाल बनाकर भीतर पौधारोपण के निर्देश दिए। वहीं सामने ही सड़क पर निर्माण सामग्री का कारोबार किया जा रहा थे, जिसे आयुक्त त्यागी ने जब्त करने को कहा। यहां से गंधी जी का पुल तक कई दुकानदारों ने बाहर तक सामन जमा रखा था। त्यागी ने सभी से सामान को दुकान की सीमा में ही रखने की चेतावनी दी।

रास्ते में विभिन्न स्थानों पर लगे खम्भों पर लोगों ने अवैध रूप से विज्ञापन क्योस्क टांग रखे थे। इन विद्युत पोल पर केबल की तार व अन्य तारें भी बंधी हुई थीं तो सड़क के पार भी जा रही थी।

इन तारों के कारण झांकियां निकालने में आने वाली संभावित परेशानी को देखते हुए आयुक्त त्यागी ने राजस्व अधिकारी महावीर सिंह सिसौदिया को पोल क्योस्क हटाने तथा अधिशासी अभियंता विद्युत सचिन यादव को विद्युत तारों को छोड़ शेष सभी तारों को काटने के निर्देश दिए।

क्षतिग्रस्त सड़कों पर करवाएं डामर:- निरीक्षण के दौरान आयुक्त अशोक कुमार त्यागी ने अधीक्षण अभियंता कुलदीप प्रेमी को शोभायात्रा मार्ग की क्षतिग्रस्त हिस्सों पर डामर करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा टूट फुटपाथ की मरम्मत करवानें, सड़क और फुटपाथ के बीच खाली जगह होने पर वहां गिट्टी-सीमेंट करवाने, रामपुरा लिंक रोड़ पर सुलभ शौचालय की मरम्मत करवाने, इंद्रा मार्केट का मूत्रालय तोड़कर नया बनाने के भी निर्देश दिऐं।

सफाई का रहे विशेष ध्यान:- आयुक्त त्यागी ने स्वास्थ्य अधिकारी मोती लाल चौधरी को शोभायात्रा मार्ग पर सभी नाले-नालियों की सफाई करवाने को कहा।

त्यागी ने कहा कि शोभायात्रा मार्ग पर सफाई पर विशेष फोकस रखें। सड़क पर जहां-जहां मलबा फैला है, उसे तत्काल उठवाएं। जो कई गंदगी फैला रहा है उसका चालान करें।

रक्तदान शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन कोटा मंडल के तत्वावधान में मंडल रेल चिकित्सालय कोटा में रक्तदान शिविर एवं सेरेबल पाल्सी तथा न्यूरोडिसएबिलीटी फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन डॉ. अमिता बिरला की अध्यक्षता में किया गया। जिसके अंतर्गत 101 यूनिट रक्तदान हुआ एवं इस अवसर पर डॉ. अमिता बिरला ने कहा कि रक्तदान महादान हैं क्योंकि बाकी अंगदान करने का अवसर तो जीवन में शायद एक बार आ सकता है लेकिन रक्तदान जीवन में हम हर तीन महीनें में एक बार कर सकते है। अत: हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। सेरेबल पाल्सी तथा न्यूरोडिसएबिलीटी फिजियोथैरेपी शिविर का आयोजन करने हेतु उन्होंने अध्यक्ष महिला कल्याण संगठन कोटा मंडल अंशु कालरा एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ.सुपर्णा सेन रॉय को बहुत-बहुत साधुवाद दिया। इसी क्रम में अंशु कालरा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सबका धन्यवाद दिया।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/1420 दिनांक:-5.8.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्रीमती शबाना परवीन पिता श्री शाब्बीर अहमद पत्नी श्री अब्दुल करीम निवासी कोटा हाल रावतभाटा द्वारा इस कार्यालय ऑनलाईन आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा के बालाजी नगर (आई.डी.एस.एम.टी.) व्यावसायिक योजना रावतभाटा के व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 (दुकान प्रयोजनार्थ) साईज 4.5x9 क्षेत्रफल 435.942 वर्गफीट अर्थात 40.5 वर्गमीटर के स्वामित्व संबंधी एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की प्रतियों को ऑनलाईन अपलोड करवाकर इस भूखंड पर मिश्रित उपयोग की भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन हेतु आवेदन मय प्रस्तावित भवन निर्माण के नक्शों की प्रतियों सहित प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के तहत निर्माण स्वीकृति एवं नक्शानुमोदन बाबत प्रस्तुत किया है।

अत: उपरोक्त प्राप्त आवेदन से संबंधित प्रस्तावित कार्यवाही को पालिका द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति/फर्म/विभाग/संस्था को उक्त कार्यवाही पर कोई उजर या आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में मय साक्ष्य/सबूत के प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात कोई भी उजरदारी या आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1184 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 4.8.25

आवास संख्या 3-र-36 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री अब्दुल वहाब पुत्र श्री अताउल्लाह खां को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री अब्दुल वहाब पुत्र श्री अताउल्लाह खां के नाम दिनांक 18.02.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री अब्दुल वहाब पुत्र श्री अताउल्लाह खां की मृत्यु दिनांक 30.08.2023 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी फातमा की मृत्यु दिनांक 22.03.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती परवीन पुत्री स्व. श्री अब्दुल वहाब पत्नी श्री अब्दुल शहीद, श्रीमती नसरीन पुत्री स्व. श्री अब्दुल वहाब पत्नी श्री कदीर एवं श्रीमती शबनम बानो पुत्री स्व. श्री अब्दुल वहाब पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 19.03.2025 को श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व. श्री अब्दुल वहाब के पक्ष में किया गया। श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व. श्री अब्दुल वहाब द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व. श्री अब्दुल वहाब के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व. श्री अब्दुल वहाब के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अब्दुल कलाम पुत्र स्व. श्री अब्दुल वहाब के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री धनराज पुत्र रामनारायण निवासी म.न. 101 मोहन धाम थेगडा रोड बोरखेडा कोटा राज. द्वारा श्री महेंद्र कुमार पुत्र गोपाल आयु 44 वर्ष जाति काछी निवासी ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा कोटा राज. से उसके स्वयं के खाते, कब्जे और स्वामित्व की आराजी जिसका पुराना खाता संख्या 127 नया खाता संख्या 138, खसरा संख्या 137, रकबा 0.3600 हेक्टर किस्म नहरी दोयम, वाके ग्राम खेडा, पटवार हल्का खेडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, का क्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2025 को विक्रय प्रतिफल राशि 17,51,000/-अदा करके किया था। जो कार्यालय उप पंजीयक प्रथम कोटा के यहां पंजीबद्ध है। मेरे पक्षकार को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महेंद्र कुमार द्वारा उपरोक्त जमीन को बदनीयती से अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का करार किया जा रहा है और मेरे पक्षकार के साथ धोखाधडी करने का प्रयास किया जा रहा है उपरोक्त आराजी पर मेरे ही पक्षकार का कब्जा व दस्तावेजी स्वामित्व चला आ रहा है और कोई भी व्यक्ति या संस्था उपरोक्त महेंद्र कुमार से इस जमीन के संबंध में कोई भी संव्यवहार न करे अन्यथा ऐसा कोई भी संव्यवहार अवैध व शून्य होगा और होने वाले परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं क्रेता को होगी। सूचित हो।

दिनांक: 04.08.25

भवदीय

राकेश कुमार मामनानी एडवोकेट

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 73/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

श्री इन्द्रमोहन सिंह भसीन पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह भसीन ए-8 बल्लभबाड़ी गुमानपुरा कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत प्रन्यास "कौन पढेगा गुरु सिख बच्चा ट्रस्ट" म.नं. नम्रता आवास बजरंग नगर कोटा के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 02.10.2025 है।

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग कोटा

एलबीएस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट के नये सत्र का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। शिक्षा की नगरी कोटा में एलबीएस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा मंगलवार को नए बैच का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास पांड्या (डेप्युटी डॉयरेक्टर ट्यूरिज्म कोटा राज.) व डॉ.शिल्पा माथुर का कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विकास पांड्या ने कहा कि कोटा में पर्यटन की अपार संभावनाए है। जो आने वाले समय में पूरी होगी और होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा साथ ही इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एलबीएस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा इस क्षेत्र में अथक प्रयास किए जा रहे है। एलबीएस ग्रुप के चेयरमैन कुलदीप माथुर ने बताया कि यह हाड़ौती का पहला होटल मैनेजमेंट कॉलेज है जो कि गर्वमेंट यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ ही आय के अवसर प्रदान किए जाते है। इस के साथ ही कार्यक्रम के पश्चात कॉलेज प्राचार्य आयुष टहलयानी एवं समस्त स्टॉफ द्वारा अतिथियों का सम्मान मोंमेटो, शाफा, शॉल पहनाकर किया।

समता आंदोलन के खिलाफ विरोध, पुतला दहन कर ज्ञापन सौंपा

कोटा, (निसं)। कोटा जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विभिन्न संगठनों द्वारा समता आंदोलन समिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने समिति के नेताओं पर समाज में जातीय वैमनस्य फैलाने, भड़काऊ एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को संयुक्त ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन के दौरान समता आंदोलन समिति के पदाधिकारियों का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया गया। संगठनों ने आरोप लगाया कि समता आंदोलन समिति द्वारा मीणा समाज के कर्मचारियों को आतंकी और आरामखोर जैसे शब्दों से संबोधित किया गया जो न केवल सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाला, बल्कि संविधान की आत्मा के भी खिलाफ है। ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन मांगें की गईं कि समता आंदोलन के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर शीघ्र गिरफ्तारी हो। ऐसे भड़काऊ आंदोलनों पर तत्काल प्रतिबंध लगे।

सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त कार्यवाही करे। इस विरोध प्रदर्शन में मीणा समाज संगठनों के साथ-साथ भीम सेना, डॉ. भीमराव अंबेडकर समिति, दलित समाज संगठन, और कई अन्य सामाजिक मंचों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस पूरे घटनाक्रम पर नगर निगम कोटा दक्षिण के उपमहापौर पवन मीणा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समता आंदोलन जैसी ताकतें सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। आरक्षित वर्गों को बदनाम करने और भड़काने का प्रयास किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह केवल मीणा समाज नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा का प्रश्न है। यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई, तो समाज को और व्यापक स्तर पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हम जातीय घृणा और नफरत के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।

इस दौरान मनोहर लाल मीणा (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष), जगदीश प्रसाद मीणा (जिला अध्यक्ष), रामस्वरूप मीणा, चतुर्भुज खींची, कमलेश मंडावत, घनश्याम मीणा, सुखलाल मीणा, दिनेश मीणा, अभय सिंह मीणा, पी.डी. मीणा, हेमराज मीणा, गजानंद मीणा, बृजराज वर्मा, राजीव कुमार, रघुवीर प्रसाद मीणा, कुंज बिहारी मीणा, जितेंद्र मीणा, गिराज मीणा, नवरत्न सिंह, कुंज बिहारी साक्यवाल, लक्ष्मण आर्य एवं अन्य मौजूद रहे।

अंगदान के क्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मान शाईन इंडिया फाउंडेशन को मिला

कोटा, (निसं)। 15वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर स्टेट ऑर्गन टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) के तत्वाधान में सोमवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज,जयपुर के नए एकेडमिक ब्लॉक में राज्य स्तरीय अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंगदान के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के साथ-साथ अभियान में सहयोग कर रहे सामाजिक संस्थाओं व संगठनों का सम्मान करना था। कोटा के लिए हर्ष की बात यह है कि, 14 वर्षों से हाड़ौती में अनवरत नेत्रदान, अंगदान और देहदान के क्षेत्र में कार्य कर रही, राजस्थान की एकमात्र संस्था शाईन इंडिया फाउंडेशन को सामाजिक संस्थाओ की श्रेणी में, उक्त कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया है, संस्था को, अंगदान के क्षेत्र में, राज्य की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था के प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया हैं। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था का यह पुरस्कार राज्य चिकित्सा विभाग के अमरीश कुमार (सचिव चिकित्सा व शिक्षा विभाग), इकबाल खान (आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग) ने शाइन इंडिया के संस्थापक डॉ.कुलवंत गौड़ को सौंपा। कार्यक्रम समारोह में अमरीश कुमार ने, अंगदान के कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से शाईन इंडिया द्वारा किए गए नवाचारों (नेत्रदानी परिवारों के घर के बाहर गौरव पट्टीका, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवार का सम्मान करवाना, अंगदानी परिवारों को निशुल्क बस यात्रा) की सराहना की, और प्रदेश में अंगदानी परिवारों के लिए, निजी क्षेत्र की नि:शुल्क बस यात्रा पोस्टर का विमोचन भी किया।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/296 दिनांक:-31.07.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा भूखंड संख्या 1493 सुभाष नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 628 दिनांक 22.04.1991 को श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह के नाम आवंटन किया गया था। श्री बृजराज सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री कैलाश चंद्र शर्मा पुत्र श्री निवास शर्मा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2023 को श्रीमती मनफूल देवी शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती मनफूल देवी शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 1493 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती मनफूल देवी शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1488 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-5.8.2025

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 713 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 21.01.1999 को श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री आवतराम पुत्र श्री ईसर मल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.11.2023 को श्री संजय कुमार लालवानी पुत्र श्री आवतराम लालवानी को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 713 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री संजय कुमार लालवानी पुत्र श्री आवतराम लालवानी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

पुलिस अधीक्षक ने जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली

■ पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अपराध पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर चर्चा

रावतभाटा, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने मंगलवार को जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपअधीक्षक एवं थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली।

अपराध गोष्ठी पुलिस लाईन स्थित अन्वेषण भवन में आयोजित की गई। विशेषकर आगामी महत्वपूर्ण त्यौहारों में पुलिस व्यवस्था, पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अपराध पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर चर्चा की। बैठक में जिले में नव पदस्थापित वृत्ताधिकारी व थानाधिकारीयों से परिचय प्राप्त किया। गोष्ठी के आरंभ में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जिले में नव-पदस्थापन के पश्चात वृत्ताधिकारी व थानाधिकारीयों से परिचय प्राप्त कर गोष्ठी के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में जिले में अपराध प्रबंधन एवं इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए, गंभीर प्रकृति के अपराधों को शीघ्र पंजीबद्ध कर खुलासा करने, पुलिस हिरासत में अपराधी की मौत को गंभीरता से लेते हुए उस पर सजगता रखने, आगामी मेला त्यौहारों पर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की अपराधियों से संलिप्तता पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थाई वारंटीयों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में कमी लाने, सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाने की बात कही। वहीं संपत्ति संबंधी अपराधों में कमी लाने व वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम कसने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर गोष्ठी में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के अलावा, चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, रावतभाटा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल मुकेश सांखला सहित जिले के समस्त वृत्ताधिकारी व थानाधिकारी व कार्यालय स्टॉफ उपस्थित रहे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/1487 दिनांक:-5.8.2025

नाम हस्तान्तरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-605 बी आर.के. पुरम योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक-977 दिनांक 21.01.1999 द्वारा श्री पंकज रायजादा पुत्र श्री देवेन्द्र रायजादा को आवंटित किया गया था। श्री पंकज रायजादा के द्वारा श्रीमती रंजना जैन पत्नी श्री हेमन्त जैन को उक्त भूखंड की कार्यवाही के संबंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। श्रीमती रंजना जैन पत्नी श्री हेमन्त जैन के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखंड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 10.01.2025 को श्रीमती मंजू बाई पत्नी श्री बाबू लाल को उक्त भूखंड का बैचान कर दिया है। श्रीमती मंजू बाई पत्नी श्री बाबू लाल के द्वारा अपने नाम उक्त भूखंड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या 605 आर.के. पुरम योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती मंजू बाई पत्नी श्री बाबू लाल के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर

क्रमांक :- ननिको(उ)/गैरिज/2025/1293-1309 दिनांक 01.08.2025

E.O.I. सूचना

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा अधिकारियों/कार्मिकों हेतु कार्यालय कार्य हेतु नगर निगम कोटा क्षेत्र की सीमा में टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक F.2(4)/FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार दर 28900/-प्रति माह प्रति वाहन (1500 कि0मी0 तक) पर EOI आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा EOI की शर्तें ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, www.kotamc.org पर ऑनलाईन EOI आमंत्रित की जाती हैं।

अनुमानित राशि :- 109.24 लाख

U.B.N. No. – DLB2526WSRC13322

NIC NO. DLB2526A4225

उपायुक्त

राज.संवाद/सी/25/7533 नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3686 दिनांक:-4.08.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री केवल चन्द आत्मज श्री श्री कल्लुराम जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तह. छबड़ा जिला (बारां)	188 193	नेहरु नगर कालोनी	192	25x40=1000 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

जिला प्रमुख, कलेक्टर को बांधी राखी, उपहार पाए

■ जिला स्तरीय समारोह में छलका उल्लास

कोटा, (निसं)। राजस्थान सरकार की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में एक अभिनव पहल मंगलवार को समूचे प्रदेश में सरकार हुई। बहनों के 'सुरक्षा-सम्मान पर्व' के तहत आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस के इस आयोजन में मुख्यमंत्री संग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन मनाया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कलाई पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ.मंजू वाघमार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रक्षा सूत्र बांधे और उपहार पाए। कोटा में वर्चुअल माध्यम से राज्यस्तरीय समारोह से जुड़कर सिआम ऑडिटोरियम में समेकित बाल विकास सेवाओं से जड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने इस 'सुरक्षा-सम्मान' पर्व में उत्साह के साथ शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मुख्यमंत्री की ओर से 501 रुपये डीबीटी द्वारा हस्तांतरित किए गए। साथ ही, रोडवेज बसों में रक्षाबंधन पर दो दिन के नि:शुल्क सफर की सौगात भी बहनों को दी गई। वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर इसे सुरक्षा कवच बताया और महिला सुरक्षा व सम्मान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस आयोजन को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से प्रेरित नवाचार बताया। जिला स्तरीय समारोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं:-सहायिकाओं ने लहरिया परिधान पहनकर उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया सहित अन्य अतिथियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इन बहनों ने रोली, चावल, श्रीफल से तिलक वंदन कर राखी बांधी एवं मुंह मीठा कराया।

वहीं रक्षा सूत्र बंधवाने के उपरांत इन भाइयों द्वारा बहनों को उपहार दिए गए। जिला प्रमुख एवं जिला कलक्टर के साथ ही सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, डॉ.एल.एन. शर्मा, सरपंच अमृत कुआं महावीर सिंह को भी आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने रक्षा सूत्र बांधें एवं उपहार पाए।

एस.डी.एम. को ज्ञापन सौंपा

छबड़ा (निसं)। अतिवृश्टि ने किसानों की उम्मीदो पर पानी फेर दिया है। अत्याधिक वर्षा से फसले तबाह होने के कारण किसानों की कमर टूट सी गई है। इसलिए उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने फसल खराबे के सर्वे की मांग को लेकर मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज भार्गव व नगर अध्यक्ष हरीश माहेश्वरी के अनुसार एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि इस वर्ष औसत से अधिक बारिश ने किसानों की खरीफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार हुई बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। जिससे अब किसानों के सामने अब गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा

फोन नं. 0744-2500539, वेबसाइट : Lsg.rajasthan.gov.in/uitkota

एफ 11/नीलामी/2025/8176 **ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर** दिनांक 05.08.2025

प्राधिकरण द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में (कोटा विश्वविद्यालय दक्षिण के में स्थित) ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड संख्या:-02 कॉर्नर को नीलाम किया जा रहा है। जो कि मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना की 36 मीटर चौडी सड़क पर एवं नंदग्राम धाम के पीछे स्थित है। ई-ऑक्शन का आरम्भ दिनांक 25.08.2025 प्रात: 11.00 बजे से शुरु होगा तथा दिनांक 27.08.2025 को दोपहर 02.00 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वत: बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) नियम/शर्ते एवं अन्य जानकारी Lsg.rajasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में प्राधिकरण में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। फोन नं. 0744-2500539/ (Helpline For Online Support-01412560211) पर सम्पर्क करें।

मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में (कोटा विश्वविद्यालय दक्षिण के में स्थित) ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड संख्या:-02 कॉर्नर

क्षेत्रफल:-8034.60 वर्गमीटर
प्रारम्भिक नीलामी दर-13000/-प्र.व.मी.
आरक्षित दर-12000/-प्र.व.मी.
धरोहर राशि-2089000/-

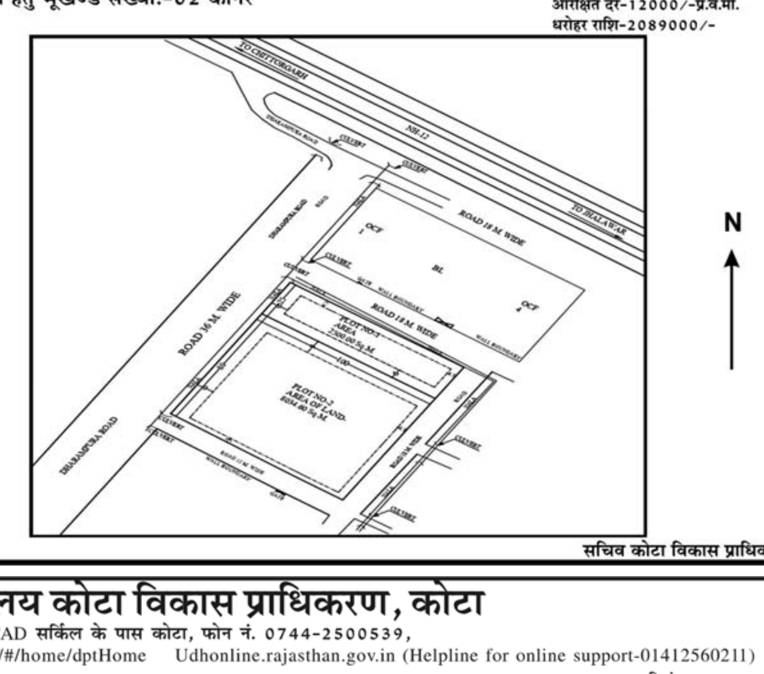

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

पश्चिम मध्य रेल

सिविल इंजीनियरिंग, संख्या-डब्ल्यू/623/15, दिनांक-01.08.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्यो के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करते है। **टेंडर संख्यॉं:** 149/2025, **कार्य का विवरण :** कोटा डिवीजनः प्रोविजन ऑफ स्टेण्डर्ड हाइट गेज इन लियू ऑफ नान-स्टेण्डर्ड हाइट गेज एट वेरियस आरओबी/आरयूबी/ब्रिज इन कोटा-मथुरा,कोटा-चितौड़ एण्ड कोटा-रुठियाई सेक्शन अण्डर द जूरिसडिक्शन ऑफ डीईएन (सेन्ट्रल),कोटा एण्ड सिनीयर डीईएन (ईस्ट) कोटा (टोटल = 25 नं.), **अनुमानित लागत :** 33840448.41, **बयाना राशि :** 319200.00, **टेण्डर भरने की अंतिम तिथि एवं समय:**18.08.2025 को 15.30 घंटे पर, **टेंडर संख्यॉं:** 150/2025, **कार्य का विवरण :** कोटा-चितौड़ सेक्शनः कन्स्ट्रेक्शन ऑफ एस एण्ड टी बिल्डिंग इन कनेक्शन विद इंटरलोकिंग ऑफ एलसी नं. 13, 43, 45 (कोटा-चितौड़) अण्डर द जूरिसडिक्शन ऑफ एडीईएन/सी/कोटा, **अनुमानित लागत :** 8156552.10, **बयाना राशि :** 163100.00, **टेण्डर भरने की अंतिम तिथि एवं समय:**18.08.2025 को 15.30 घंटे पर, **टेंडर संख्यॉं:** 151/2025 आर, **कार्य का विवरण :** कोटा-रुठियाई सेक्शनः- रीहेबिलीटेशन ऑफ ब्रिज नं.:134 अण्डर दि जूरिस्डिक्शन ऑफ एडीईएन/बांरा, **अनुमानित लागत :** 28169480.27, **बयाना राशि :** 290900.00, **टेण्डर भरने की अंतिम तिथि एवं समय:**18.08.2025 को 15.30 घंटे पर, **टेंडर संख्यॉं:** 152/2025, **कार्य का विवरण :** सालपुरा डिपो-सप्लाई ऑफ 70000 क्युबिक मीटर 65 एम.एम. साइज मशीन क्रस्ड स्टोन बैलास्ट ऑफ अप्रूव्ड क्वालिटी एण्ड लोडिंग इनटु होपरस/वैंगन एट, **अनुमानित लागत :** 44844788.52, **बयाना राशि :** 374200.00, **टेण्डर भरने की अंतिम तिथि एवं समय:**25.08.2025 को 15.30 घंटे पर, **टेंडर संख्यॉं:** 153/2025, **कार्य का विवरण :** कोटा-मथुरा सेक्शन- बेंलिग आउट ऑफ वाटर/मड़ फ्रॉम एलएचएस इन लियू ऑफ एल सी नं. 167, 168, 171, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 183X, 184 एण्ड 185 इन्क्लूडिंग क्लीजिंग ऑफ सम्प/ड्रेन अण्डर द एसएसई/वर्कस/ गंगापुरसिटी (इक्कीस महीनें के लिए), **अनुमानित लागत :** 1079209.70, **बयाना राशि :** 21600.00, **टेण्डर भरने की अंतिम तिथि एवं समय:**18.08.2025 को 15.30 घंटे पर, पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई ई-निविदा में तथा वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की कार्यलेखा शाखा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

(हस्ता)

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम RAEES AHMAD ANSARI से बदलकर नया नाम RAIS AHMAD ANSARI रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-रईस अहमद अंसारी पुत्र वहीद मोहम्मद अंसारी 19, श्याम विहार कालोनी देवली अरब रोड बोरखेड़ा कोटा

निर्माण कार्य रुकवाया

छबड़ा (निसं)। नागेश्वर पहाड़ी पर चल रहे दीवार निर्माण कार्य में घटिया रेत का उपयोग किए जाने पर रेंजर ने मौके पर पहुंचकर काम रूकवा दिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़ ने बताया कि आरएबीडीपी योजना के तहत नागेश्वर पहाड़ी पर 20 लाख की लागत से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा, फोन नं. 0744-2500539,

वेबसाइट:- https://lsg.rajasthan.gov.in/uitkota/#/home/dptHome Udhonline.rajasthan.gov.in (Helpline for online support-01412560211)

क्रमांक:-एफ-11/नीलामी/2025/8192 **ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर** दिनांक:- 05.08.2025

प्राधिकरण कोटा में S.S.O.आई.डी. के माध्यम से भूखण्डों का ई-ऑक्शन प्रारंभ किया जा रहा है। ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए S.S.O. आईडी के माध्यम से लॉगइन करना होगा। ई-आक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क/ईएमडी ऑनलाईन जमा करवाना होगा। नीलामी की विस्तृत शर्ते कोटा विकास प्राधिकरण की वेबसाईट https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/uitkota/en/Home.html.html# पर देखी जा सकती है। ई नीलामी से क्रय किये गये भूखंड की 15 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि को सम्मिलिति करते हुए 3 कार्य दिवसों में जमा होने व नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की ही होगी।

नोट: 1. सभी नीलामी कार्यक्रम प्रारम्भ होने का समय प्रात: 10.00 बजे एवं समाप्ति समय प्रात: 11.00 बजे रहेगा।

-: दैनिक नीलामी कार्यक्रम का विवरण :-

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखंड संख्या	भूखंड की साईज	आरक्षित दर (नगरीय कर की गणना हेतु) प्र.व.मी.	प्रारम्भिक दर प्र.व.फी./प्र.व.मी.	धरोहर राशि (EMD)	संबंधित कनि. अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता का मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	6	7	8	9
ई-ऑक्शन की प्रारम्भ तिथि 28.08.2025 ई-ऑक्शन की समाप्ति तिथि 01.09.2025							
1.	श्रीरामकृष्णपुरम-बी अपना घर आवासीय योजना के समीप भूखंड	10-जी-35ए कॉर्नर	9.30+1.90/2x9=50.40 व.मी. =542.30 व.फी.	14000/- प्र.व.मी.	4950/- प्र.व.फी.	53700/-	श्री अनुराग शर्मा 9166880055 श्री नितिन नागर 9251030303
2.	आरोग्य नगर जैन जनउपयोगी सामुदायिक भवन के समीप व्यावसायिक योजना	29	2x2.5=5.00 व.मी. =53.80 व.फी.	7500/- प्र.व.मी.	16000/- प्र.व.फी.	17500/-	श्री अनुराग शर्मा 9166880055 श्री नितिन नागर 9251030303
ई-ऑक्शन की प्रारम्भ तिथि 29.08.2025 ई-ऑक्शन की समाप्ति तिथि 03.09.2025							
3.	बालाजी मार्केट व्यावसायिक योजना	बी-527	7.5x10.50=78.75 व.मी. =847.35 व.फी.	18000/- प्र.व.मी.	6000/- प्र.व.फी.	102000/-	श्री अनुराग शर्मा 9166880055 श्री नितिन नागर 9251030303
4.	आरोग्य नगर जैन जनउपयोगी सामुदायिव भवन के समीप व्यावसायिक योजना	30	2x2.5=5.00 व.मी. =53.80 व.फी.	7500/- प्र.व.मी.	16000/- प्र.व.फी.	17500/-	श्री अनुराग शर्मा 9166880055 श्री नितिन नागर 9251030303
ई-ऑक्शन की प्रारम्भ तिथि 01.09.2025 ई-ऑक्शन की समाप्ति तिथि 04.09.2025							
5.	आरोग्य नगर जैन जनउपयोगी सामुदायिव भवन के समीप व्यावसायिक योजना	24	2x2.5=5.00 व.मी. =53.80 व.फी.	7500/- प्र.व.मी.	16000/- प्र.व.फी.	17500/-	श्री अनुराग शर्मा 9166880055 श्री नितिन नागर 9251030303
6.	आरोग्य नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना	20	7.5x15=112.5 व.मी. =1210.5 व.फी.	10000/- प्र.व.मी.	10000/- प्र.व.फी.	242100/-	श्री प्रदीप असवाल 9571619111 श्रीमती नीलम व्यास 9587250588

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण